

12-7-22

पतावली पेश हुई। वकील परामर्श उपस्थित।  
अपीलार्थियों एवं रसोडवों को न्यायालय समक्ष लक्ष्य  
कार-कार आवाज लगावाई गई। जिनको उपाय  
नहीं हुए। और न ही वकील अपीलार्थियों द्वारा -  
परामर्श अवसर दिये जाने पर अपीलार्थियों को तलबी  
हेतु तलबाना जोरिस पेश नहीं किये जाये हैं।

अतः अपीलार्थियों का प्रार्थना पर अपील अन्तर्गत  
कारा 75 में दायर आवेदन अधिनियम 1950 आदेश दिनांक  
30.11.2015 ग्राम मंजमत मुरलीपुरा नं. स. 14 पत्नी नगर  
परामर्श अवसर दिये जाने पर भी अपीलार्थियों/रसोडवों  
की तलबी हेतु तलबाना जोरिस पेश नहीं करके जो  
आभाव में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 के तहत  
जोड़न किया जाता है। पतावली पेशके शुभारंभ  
होकर जज से नाम होकर खलिब दफ्तर ही।  
मिथ्या वृत्त न्यायालय में सुनाया गया

उपरवर्त उपस्थित  
सौम्य लेखक

